झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी0एम0सी0/कार्य–439/2021/ 27/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत सिमडेगा जिला के प्रखंड पकरटांड़ अंतर्गत कुसुमझरिया मध्यम सिंचाई योजना के भू–मुआवजा भुगतान हेतु पारित न्याय निर्णय के आलोक में रू0 16.3865 लाख (सोलह लाख अड़तीस हजार छः सौ पचास) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

1. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत सिमडेगा जिला के प्रखंड पकरटांड़ अंतर्गत कुसुमझरिया मध्यम सिंचाई योजना के भू–मुआवजा भुगतान हेतु पारित न्याय निर्णय के आलोक में रू0 16.3865 लाख (सोलह लाख अड़तीस हजार छः सौ पचास) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. सिमडेगा जिला के प्रखंड पकरटांड़ अंतर्गत कुसुमझरिया मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण हेतु कुल राशि रू0 4.972 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रॉची के पत्रांक–116 दिनांक–15.02.1984 द्वारा प्रदान की गई थी।
3. योजना विभाग के ज्ञाप संख्या–685 यो0वि0 दिनांक–2 मार्च, 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, रॉची की अनुशंसा को दृष्टिगत करते हुए प्रदान की गई, जिसमें भू–अर्जन हेतु 0.124 लाख का प्रावधान किया गया था। तदोपरांत योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया।
4. योजना पर कुल व्यय रू0 460790.00 तथा योजना का कार्य वर्ष 1984 में पूर्ण हो चुका है।
5. वर्ष 2003 में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा योजना में कुल 11.39 एकड़ भूमि को दोन–II, दोन–III, टांड़–II, टांड़–III एवं परती कदीम दर्शाते हुए मुआवजा एवं लगान तथा स्थापना मद में कुल राशि रू0 5,99,257.00 का आकलन किये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक–01/04–05 प्र0स्वी0 दिनांक–17.05. 2004 द्वारा योजना के भू–मुआवजा भुगतान की राशि को अद्यतन करते हुए कुल रू0 1060047.00 की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
6. वर्ष 2004 में छः रैयतों को 11.39 एकड़ भूमि के मुआवजा मद में रू0 5,70,071.00 एवं लगान तथा स्थापना मद में रू0 29,186.00 कुल राशि रू0 5,99,257.00 का भुगतान किया गया।.
7. छः रैयतों में से एक रैयत जिसको 2.08 एकड़ परती कदीम भूमि के एवज में रू0 51,814.00 का भुगतान किया गया था, द्वारा सविरोध मुआवजा राशि प्राप्त करने के पश्चात् उक्त जमीन परती कदमी नहीं, दोन–1 है, दर्शाते हुए एस0डी0एम0 कोर्ट में याचिका दायर किया गया। न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में उक्त जमीन को दोन–1 करार देते हुए वादी को दिनांक–29.02.2016 को रू0 432410.15 मात्र और राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।
8. योजना में अबतक कुल रकबा 11.39 एकड़ भूमि के मुआवजा मद में रू0 5.99257 लाख का भुगतान किया गया है। भू–अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–89 (ii) भू0अ0, दिनांक–22.03.2021 द्वारा वादी को 2.08 एकड़ भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु न्यायालय से घोषित अवार्ड के आलोक में मार्च 2016 से मई 2018 तक 15% प्रतिशत की दर पर ब्याज की राशि रू0 145938.57 मात्र तथा मुकदमा खर्च की राशि रू0 225.00 मात्र को अद्यतन करते हुए कुल भु–अर्जन मुआवजा की प्राक्कलित राशि रू0 5,78,573.56 मात्र की है, जिसके

आलोक में उपायुक्त सिमडेगा के पत्रांक–1070 दिनांक–10.08.2021 द्वारा योजना के भू–अर्जन भगतान हेतु कुल राशि रूपये 578573.00 (पाँच लाख अठत्तर हजार पाँच सौ तिहत्तर) मात्र को अधियाचना की गई है जिसके भुगतान हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

9. प्रस्तावित योजना में मदवार किए गए प्रावधान एवं व्यय की गई राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र० सं0	शीर्ष	मूल प्राक्कलन में मदवार प्रावधान	प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रावधान	व्यय की गई राशि	मदवार कराये जाने वाले कार्य की राशि	पुनरीक्षित प्राक्कलन में किये गए प्रावधान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Land	12400.00	599257.00	599257.00	578573.00	1177830.00
2	Work	386250.00	377843.00	377843.00	0	377843.00
3	Miscellaneous Items	98513.00	82947.00	82947.00	0	82947.00
	Total	**497163.00**	**1060047.00**	**1060047.00**	**578573.00**	**1638620.00**
	Say					**1638650.00**

10. भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 16.3865 लाख है जिसमें भू–अर्जन मूआवजा भुगतान हेतु पूर्व की निर्गत राशि को अद्यतन करते हुए रू0 11.7783 लाख का प्रावधान किया गया है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में पूर्व में किया गया भुगतान शामिल है।

11. इस योजना से 80 एकड़ खरीफ 50 एकड़ रब्बी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

12. नई एवं चालू योजना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष–2022–23 का बजट प्रावधान निम्नवत् है–
''मुख्य शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–39–नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य''(50-S-4702-00-796-39-00-05-45) अंतर्गत रू० 5555.00 लाख का बजट प्रावधान है।

13. योजना पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा–
''मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–39–नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य''(50-S-4702-00-796-39-00-05-45) अंतर्गत रू० 578573.00 भारित हो सकेगा।

14. वित्तीय वर्ष–2022–23 में भू–मुआवजा का भूगतान कर दिया जायगा।

15. इस योजना के राशि के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

17. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

19. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27/22-23 प्र०स्वी०
18.07.2022

(प्रशान्त कुमार)
सचिव

3_439_21_W

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

18/07/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

18/07/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

18/07/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

18/07/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/07/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–439 / 2021 27/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 18.07.2022

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / ई॰ सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

18/07/2021

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)